विदयालय मान्यता कं.27190613425

ADV.D.B.JAYW. NOTRY Govt.of Maharashtra Reg.No 1198/2016 Exp.Dt 12/04/2026 Sillod Dist Aurangabad (M.S.)

नमुना दो

जा.क.जिपछसं / शिक्षण / प्रवि–3 / आरटीई / 2024–25 / 863 / 974

कार्यालय जिल्हा परिषद औरंगाबाद

दि. 31 / 01 / 2025

व्यवस्थापक / अध्यक्ष / सचिव / प्रधानाचार्य
पुर्णा कावेरी शिक्षण संस्था,सिल्लोड
लिटल वंडर्स इंग्लिश स्कुल,सिल्लोड सर्व्हे नं.373,जळगांव रोड सिल्लोड ता.सिल्लोड जि.छत्रपती संभाजीनगर.

विषय	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के तहत विदयालयो को निःशुल्क बच्चो के अधिकार 2011 के नियम 11,उपनियम (4) के तहत मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध मे
संदर्भ	1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 उप धारा 4 3. अध्यक्ष / सचिव / प्रधानाचार्य का प्रस्ताव दि.07 / 01 / 2025 या शाखेत प्राप्त दि. 09 / 01 / 2025. 4. समूह शिक्षा अधिकारी,पं.स.औरंगाबाद का निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 27 / 01 / 2025 शाखा रिपोर्ट प्राप्त दिनांक 27 / 01 / 2025

आदरणीय सर / मैडम,

आपके आवेदन और स्कूल के साथ पत्राचार / विदयालय के निरीक्षण के आधार पर।

मै शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जिला परिषद छत्रपती संभाजीनगर,पूर्णा कावेरी शिक्षण संस्था,सिल्लोड आयोजित,लिटल वंडर्स इंग्लिश स्कुल,सिल्लोड सर्व्हे नं.373,जळगांव रोड सिल्लोड,छत्रपती संभाजीनगर जिला इस अंग्रजी माध्यम के विदयालय को 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक कक्षा 1 से 8 वी तक की बेसिक कक्षाओ के लिए मान्यता दी जा रही है।

1. मान्यता की अवधि को बढाया नही जायगा और आठवी कक्षा के बाद मान्यता या संबध्दता देने के लिए किसी भी परिरिस्थिति मे कोई बंधन नही होगा।
2. विदयालय बच्चो की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट एक) और महाराष्ट बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2011 (परिशिष्ट एक) के प्रावधानो का पालन करेगा।
3. स्कूल निकटतम कमजोर वर्गो और वंचित समूहो के बच्चों को पहली कक्षा मे प्रवेश देगा,उस कक्षा मे छात्रो की,संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक,और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उन्हे मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा । लेकिन आगे,प्री–प्राइमरी कक्षाओं के मामले में भी एस मानक का पालन किया जाएगा ।
4. अनुच्छेद 3 निर्दिष्ट बच्चों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार प्रतिपूर्ती की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ती प्राप्त करने के लिए स्कूल को एक अलग बैंक खाता प्रदान किया जायगा।
5. संस्था / विदयालय कोई कॅपिटेशन शुल्क नही लेगा और बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को किसी भी स्कीनिंग प्रकिया के लिए बाध्य नही करेगा।
6. किसी भी बच्चे को जन्म,धर्म ,जाति या वंश,जन्म स्थान या इनमें से किसी प्रमाण के अभाव में स्कूल मे प्रवेश से वंचित नही किया जाएगा ।
7. (i) विदयालय में भर्ती किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होणे तक उसी कक्षा मे नही रखा जाएगा या स्कुल से निष्कासित नही किया जाएगा।
   (ii) किसी भी बच्चे को शारीरीक दंड या मानसिक उत्पीडन नही किया जाएगा ।
   (iii) किसी भी बच्चे को अपनी प्राथमिक शिक्षा पुरी करणे तक किसी भी बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करणे की आवश्यकता नही होगी।
   (iv) प्राथमिक शिक्षा पुरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 23 तहत निर्धारीत प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
   (v) विकलांग / विषेश आवश्यकता वाले क्षात्रो को अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार शामिल किया जाएगा।
   (vi) अधिनियम कि धारा 23 (1) के तहत निर्धारीत न्युनतम योग्यता रखनेवाले शिक्षको की नियुक्ती कि जाएगी। लेकीन साथही जो शिक्षक अधिनियम के लागु होने की तिथी पर

NOTARIAL ... D.B. JAYW Reg.No 1198/2016 Exp.Dt 12.04.2026 SILLOD ... OF MAHARASHTRA NOTARIAL
ADV.D.B.JAYW. NOTRY Govt.of Maharashtra Reg.No.1198/2016 Exp.Dt 12/04/2026 Sillod 431112 (M.S.) NOTARIAL ... Aurangabad
ADV.D.B.JAY NOTARIAL Reg.No.1198/2016 Exp.Dt 12/04/2026 Sillod 431112 (M.S.) Sillod Dist Aurangabad

न्युनतम योग्यता नही रखते है,उन्हे 5 वर्ष कि अवधी के भितर ऐसी न्युनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24(1) मे निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा,और

(viii) स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि अध्यापक/अध्यापिका स्वंय की निजी कक्षाओ व्यस्त न करे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठयक्रम के आधार पर तैयार किए गए पाठयक्रम का पालन करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में निर्धारित स्कुल मे उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार छात्रो को प्रवेश देगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट मानकों और मानदंडो का पालन करेगा। पिछले निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार थी:

स्कूल परिसर क्षेत्रफल	12140 चौ.मि.
कुल निर्मित क्षेत्र	4500 चौ.मि.
खेळ मैदान का क्षेत्रफल	7640 चौ.मि.
कक्षाओ की संख्या	82
कार्यालय– भांडार – प्राचार्य कक्ष	उपलब्ध है
लडको–लडकियो के लिए अलग अलग शौचालय –जहॉं उपयोग के लिए व शौचालय साफ स्वस्थ रिथति मे बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी होगा।	उपलब्ध है
पीने के पानी की सुविधा	उपलब्ध है
मध्यान्ह भोजन के लिए रसोईघर	उपलब्ध नही है
अध्यापन अध्यन सामग्री/खेल व कीडा सामग्री/ग्रंथालय की उपलब्धता	उपलब्ध है
पठन सामग्री स्वतंत्र रुप से उपलब्ध।	उपलब्ध है

11. विद्यालय के नाम पर अमान्यता प्राप्त कक्षएं या दुकडियॉं स्कूल परिसर या अन्य जगहो पर संचालित नही की जा सकती है।

12. स्कूल भवन या अन्य निर्माण या खेल के मैदान का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के उददेश्य से किया जाएगा।

13. विद्यालय,सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) या मुम्बई पब्लिक ट्रस्टी अधिनियम,1950 के तहत पंजीकृत एक संगठन द्वारा चलाया जाता है।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति,समूह या व्यक्तियो के संघ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए या कोई लाभ कमाने के लिए नही चलाया जाता है।

15. विद्यालय के खातो का चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा ऑडिट और प्रमाणित किया जाना चाहिए और नियमों के अनुसार उचित खाते तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक खाता विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

16. कृपया ध्यान दें कि इस कार्यालय साथ किसी भी पत्राचार मे आपके विद्यालय द्वारा प्राप्त प्रत्यायन संख्या (27190613425) है,का उल्लेख करे।

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन एवं सूचनाऐं प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय– समय पर उपेक्षित हो अथवा विद्यालय की मान्यता की शर्तो को निरन्तर पूरा करने के लिए या स्कूल के कामकाज मे कमियो को दूर करने के लिए सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा।

18. सुनिश्चित करें कि संगठन का पंजीकरण,यदि कोई हो,का नवीनीकरण किया है।

19. अन्य शर्ते अनुबंध "तीन" के अनुसार संलग्न है।

BEFORE ME 21/5/2025
Adv. D.B.JAYWAL
NOTARY GOVT.OF MAHARASHTRA
Sillod Tq.Sillod Dist.Chh.Sambhajinagar

NOTRAY
GOVT.OF MAHARASHTRA
Sillod Dist. Aurangabad (M.S.)

Adv. D.B.JAYWAL
NOTARY GOVT.OF MAHARASHTRA
Tilak Nagar,Sillod Tq.Sillod
Dist.Chh.Sambhajinagar
Mob.9422564097

Signature of Deponent after the attestation

(जयश्री चव्हाण)
शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक)
जिला परिषद,छत्रपती संभाजीनगर

प्रतिलेख.:

1. मा.शिक्षा निदेशक,महाराष्ट राज्य,पुणे–1 को प्रस्तुत जानकारी।
2. मा.सूचना उप निदेशक शिक्षा,छत्रपती संभाजीनगर संभाग,छत्रपती संभाजीनगर को सौपी जानकारी।
3. चयन नि:शुल्क है।

MANAGER
Little Wonders English School
Sillod. Dist.Chha.Sambhajinagar

PRINCIPAL
Little Wonders English School
Sillod,Dist.Chh.Sambhajinagar